राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

RCSE

0डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017
दूरभाषः 0141–2709846, E-mail: mis.nsqf.raj@gmail.com

क्रमांकः रा.मा.शि.प / जय / व्या. शि. / 2017–18 / 983 दिनांकः 5 / 02 / 2018

जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.)
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
समस्त जिले।

विषय :– व्यावसायिक शिक्षा योजना अन्तर्गत माध्यमिक व्यावसायिक (लेवल–II) परीक्षा –2018 तथा उच्च माध्यमिक (व्यावसायिक) (लेवल–IV) परीक्षा–2018 के बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र में लेवल–I व लेवल–III के पूरक प्रायोगिक परीक्षा– 2017 के परिणाम के आधार पर संशोधन बाबत्।

संदर्भ :– पूर्व पत्रांक रामाशिप / जय / V.E. / 2017–18 / 5768 दिनांक 11.09.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सदंर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि व्यावसायिक शिक्षा योजना अन्तर्गत लेवल–1 व लेवल–3 के व्यावसायिक प्रायोगिक परीक्षा 2017 में पूरक घोषित विद्यार्थियों को माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा–2018 व उच्च माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा–2018 के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने बाबत् पत्र क्रमांक–रामाशिप / जय / V.E. / 2017–18 / 5768 दिनांक 11.09.2017 द्वारा निर्देशित किया गया था।

पूरक प्रायोगिक परीक्षा परिणाम–2017 के आधार पर माध्यमिक व्यावसायिक (लेवल–II) परीक्षा–2018 तथा उच्च माध्यमिक (व्यावसायिक) (लेवल–IV) परीक्षा–2018 के बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र में प्रायोगिक पूरक परीक्षा–2017 में उत्तीर्ण विद्यार्थी बोर्ड आवेदन पत्र में व्यावसायिक शिक्षा विषय को यदि पूर्व में चयन नहीं किया है वें व्यावसायिक शिक्षा विषय का चयन कर सकते है। इसी प्रकार पूरक प्रायोगिक परीक्षा–2017 में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी जिन्होंनें व्यावसायिक शिक्षा विषय का चयन किया था बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र–2018 से इस विषय को विलोपित करा सकते है। इसके लिए सचिव, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर को विद्यालय के संस्था प्रधान के द्वारा पत्र प्रेषित किया जाना है, पत्र के साथ बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र–2018 की प्रति की हार्ड कॉपी तथा बोर्ड परीक्षा–2018 का रोल नम्बर एवं पूरक प्रायोगिक परीक्षा–2017 परिणाम की अंकतालिका की प्रति संलग्न कर आवश्यक संशोधन करवाया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार पत्र की पालना सुनिश्चित करावें।

(सुरेश चन्द्र)

www.rajteachers.com

अति0 राज्य परियोजना निदेशक
रामाशिप जयपुर

प्रतिलिपि :– आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी, शासन सचिव , स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप जयपुर।
3. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, रामाशिअ. समस्त जिलों को भेजकर लेख है उक्त पत्र की पालना कर सुनिश्चित करावें।
4. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर।
5. उपनिदेशक शाला दर्पण को प्रति शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
6. समस्त संस्था प्रधान व्यावसायिक शिक्षा।
7. रक्षित पत्रावली।

अति0 राज्य परियोजना निदेशक